मुन्नी vs साबिर मु.नं. - 12/2021 Gems - 2021/22

तारीख हुक्म	अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली) राजस्व मुकदमा संख्या .... हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/07/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित वादपत्र पर बहस हेतु समय चाहा गया है। समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस मामला दिनांक 08/08/23 को पेश हो। [signature]
08/08/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मौजा गोपालपुरा के खसरा नम्बर 1540/2 में वादीगण मुस्तकिल बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। राजस्व रेकर्ड के खसरा नम्बर 1540/2 में प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में केवल नहीं है। उक्त पत्रावली में प्रतिकूल धारणा के बोल दस्तावेजी साक्ष्य सबूत भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये है। बहस समाप्त की गई। बहस एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात मौजा गोपालपुरा के खसरा नम्बर 1540/2 में प्रतिवादीगण से वादीगण को कब्जा दिलाने के आदेश दिये जाते है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद इन्द्राज पत्रावली शामिल हो। तख्मीना जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]

न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 12/2021
प्रकरण दर्ज तिथि :— 01.03.2021
जीसीएमएस नम्बर :— 2021/22

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मुन्नीदेवी पत्नि नाथूराम जाति रेगंर निवासी बाबरा 2. ओमप्रकाश पुत्र पुंखाराम जाति मेघवाल निवासी खेडा जोगडावास तहसील मारवाड जंक्शन		1. साबिर गोद पुत्र रहिमा जाति मेहरात निवासी बाबरा 2. हाजरी पत्नि हबीब 3. रमजानीबानु पत्नि चैना काठात 4. सीताबानु पत्नि अली मोहम्मद जाति काठात निवासीगण बगतपुरा तहसील जैतारण 5. बिदामी पत्नि मस्तादअली जाति मेहरात निवासी जुंजारो का बाडिया लुलवा 6. कालू काठात पुत्र उरजा काठात जाति मैरात निवासी बगतपुर रास तहसील जैतारण 7. तहसीलदार रायपुर 8. उप पंजीयन अधिकारी रायपुर

दावा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 वादी अधिवक्ता उपस्थित
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 08/08/2023

वादी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर वगैरह द्वारा दावा बाबत् वादपत्र धारा 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादीगण की कब्जे काश्त की पटवार हल्का बाबरा में खसरा नम्बर 1540/02 रकबा 05 बीघा आई हुई हैं जिसका वादीगण रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं वादीगण ने उक्त कृषि भूमि श्रीराम पुत्र गीगराम जाति रेगर के वंशज से खरीद की बेचानकर्ता ने वादीगण को कब्जा सुपुर्द किया था खरीद से लेकर आज दिन तक वादीगण का कब्जा एवं काश्त लगातार चला आ रहा था। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीराम पुत्र गीगाराम जाति रेगर निवासी बाबरा का कब्जा वक्त सेटलमेट से लेकर बेचान की तारीख तक लगातार चला आ रहा था उक्त कृषि भूमि श्रीराम पुत्र गीगराम के नाम कब्जे के आधार पर आवंटन हुई थी तब श्रीराम पुत्र गीगाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था तभी श्रीराम के फौत होने के बाद उसके वंशज ने उक्त कृषि भूमि रजिस्ट्रर्ड बेचान से वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ । प्रतिवादीगण संख्या 01 के गोद माता धापुदेवी पत्नि श्री रहिमा काठात निवासी बगतपुरा तहसील जैतारण ने नन्दकंवर पत्नि अजीत सिंह जाति राजपूत निवासी बाबरा से दिनांक 25.02.2005 को खसरा नम्बर 1840 रकबा 05 बीघा रजिस्टर्ड खरीद की जिसकी रजिस्ट्री की नकल दावे के साथ प्रस्तुत हैं। खसरा नम्बर 1540 में कभी भी प्रतिवादीगण के नाम से कृषि भूमि आवंटन नहीं हुई थी न ही कभी भी खसरा नम्बर 1540 की कृषि भूमि में कब्जा एव काश्त था न ही प्रतिवादीगण के पक्ष में कभी भी राज्य सरकार ने कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

का आवंटन नहीं किया था। खसरा नम्बर 1840 की आड में वादीगण खसरा नम्बर 1540 की कृषि भूमि मे बिना किसी के आदेश की बिना रजिस्ट्री के सुधार से राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से खसरा नम्बर 1540 की कृषि भूमि मे वादीगण की कब्जा काश्त की कृषि भूमि में कब्जा कर लिया जो गैरकानूनी हैं। उपरोक्त कृषि भूमि के मालिकाना हक रखते हैं वादीगण को बेचानकर्ता श्रीराम का उक्त कृषि भूमि पर वक्त सेटलमेट से लेकर बेचान की तारीख तक कब्जा सुदा थी तभी वादीगण ने उक्त कृषि भूमि खरीद की थी लेकिन प्रतिवादीगण से राजस्व कर्मचारी को लोभ लालच देकर वादीगण की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में एक तरफा हैरा फेरी कर लाल रंग से तरमीम कर दी गई जिसका प्रतिवांदीगण ने फायदा उठा कर लाठी के बल पर वादीगण को बेदखल कर दिया वादीगण कमजोर व्यक्ति हैं गरीब व्यक्ति हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में वादीगण की कब्जे काश्त की कृषि भूमि को प्रतिवादीगण के नामं तरमीम की गई है जिसे वादीगण उक्त तरमीम को रदद् करवाने का कानूनी अधिकारी है एवं अपने नाम की घोषणा पाने का भी कानूनी अधिकारी हैं। वादीगण साबिर गौद पुत्र रहिमा जाति मेहरात की गौद पुत्र माता धापुदेवी पत्नि रहिमा काठात ने दिनांक 25.02.2005 को नन्दकंवर पत्नि अजीतसिंह जाति राजपूत से खसरा नम्बर 1840 मीन रकबा 05 बीघा रजिस्ट्रर्ड खरीद की थी जिसका दावा साबिर गौद पुत्र रहिमा ने 24.07.2017 को सहायक कलक्टर महोदय रायपुर के समक्ष पेश किया था जो आज भी चल रहा हैं जिसकी तारीख पेशी 30.03.2021 नियत हैं। खसरा नम्बर 1540 में प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों के नाम कभी भी आवंटन नहीं हुई थी न ही खसरा नम्बर 1540 के रेकर्डड खातेदार काश्तकार थें। वादीगण संख्या 01 राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर वादीगण की कृषि भूमि को बिना किसी न्यायालय के आदेश के अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा कर तरमीम करवा कर वादीगण की कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया उक्त प्रार्थना पत्र वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादीगण की कृषि भूमि का कब्जा पुनः लेने हेतु कई बार कहा व वादीगण ने पुनः कब्जा लेने हेतु सरकार की अधिकारियो से भी निवेदन किया लेकिन वादीगण की कही पर भी सुनवाई नही हुई। डिकी बहक वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से जारी फरमावें की वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरीय नक्शा की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1540/02 रकबा 05 बीघा पर प्रतिवादीगण का बतौर अतिक्मी के कब्जा है इन प्रतिवादीगण के अवैध कब्जे को जरिये बेदखली की डिकी के बेदखल किया जावें व उक्त वाद ग्रस्त भूमि का खाली कब्जा वादीगण को सौपा जावें। राजस्व रेकर्ड के नक्शे में वादीगण की कब्ज काश्त की कृषि भूमि जों तरमीम की गई हैं उक्त तरमीम को निरस्त कर वादीगण के पक्ष में तरमीम की घोषणा किये जाने का आदेश प्रदान करावें एवं वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि 1540/02 रकबा 05 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण इस आशय को जरिये रहन बैचान के अन्य हस्तान्तरित नहीं करे तथा इस भूमि का कब्जा वादीगण को सौपे जाने के उपरान्त भविष्य में इस वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिक्मी के अपना कब्जा नहीं करे व अवैध रूप से हस्तक्षेप , बाधा दखलअंदाजी नहीं करें ऐसा करने से प्रतिवादीगण स्वयं व उनके नौकर चौकर को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के लिये हमेशा के लिये रोका जावें ।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 06 तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 06 नियम 17 सीपीसी के तहत पेश किया जिसमें उक्त प्रार्थना पत्र के इस्तेदुआ के भाग ग मे खसरा नम्बर 1540/02 रकबा 05 बीघा टाईप किया जाना चाहिए था, लेकिन भूल वश 02 बीघा टाईप हो गया हैं जिसे सुधारा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (छत्तीसगढ़)

जाने हेत निवेदन किया हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस्तेदुआ के भाग अ मे खसरा नम्बर 1540/2 रकबा 2 बीघा के स्थान पर 5 बीघा संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। लाल स्याही से अंकन किये गये हैं।

वादी के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया जो पत्रावली संलग्न किया गया हैं। जो pw1 पर दस्तावेज प्रदर्श किये गये हैं। वादी के गवाह का साक्ष्य के रूप में श्री रमजान पुत्र नुरा जाति मेहरात निवासी बगतपुरा तहसील जैतारण जो pw3 पर दस्तावेज प्रदर्श किये गये हैं। तथा श्री रवि पुत्र चेनाराम जाति रेगर निवासी बाबरा जो pw4 पर दस्तावेज प्रदर्श किये गये हैं।एवं धन्नाराम पुत्र लुम्बाराम जाति कुमावत निवासी रास जो pw2 पर दस्तावेज प्रदर्श किये गये हैं। का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ जो पत्रावली संलग्न किया गया हैं।

प्रस्तुत शपथ पत्र में वादीगण के कब्जेकाश्त की पटवार हल्का बाबरा में खसरा नम्बर 1540/2 रकबा 05 बीघा आई हुई हैं। जिसका वादीगण रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण ने उक्त कृषि भूमि श्रीराम पुत्र गीगाराम, जाति रेगर के वंशज से खरीद की, बेचानकर्ता ने वादीगण को कब्जा सुपुर्द किया था, खरीद से लेकर आज दिन तक वादीगण का कब्जा एवं काश्त लगातार चला आ रहा था। दावे के पद संख्या 01 में बतायी गई कृषि भूमि श्रीराम पुत्र गीगाराम, जाति रेगर निवासी बाबरा का कब्जा वक्त सेटलमेट से लेकर बैचान की तारीख तक लगातार चला आ रहा था। उक्त कृषि भूमि श्रीराम पुत्र गीगाराम के नाम कब्जे के आधार पर आवंटन हुई थी। तब श्रीराम पुत्र गीगाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था। तभी श्रीराम के फौत होने के बाद उसके वंशज ने उक्त कृषि भूमि रजिस्टर्ड बैचान की, उक्त रजिस्टर्ड बैचान से वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। प्रतिवादी संख्या एक के गौद माता धापुदेवी पत्नि रहिमा काठात निवासी बगतपुरा ने नन्दकंवर पत्नि अजीतसिंह से दिनांक 25.02.2005 को खसरा नम्बर 1840 रकबा 5 बीघा रजिस्टर्ड खरीद की, खसरा नम्बर 1540 में कभी भी प्रतिवादीगण के नाम से कृषि भूमि में कब्जा काश्त था। खसरा नम्बर 1840 की आड में, प्रतिवादी ने वादीगण की खसरा नम्बर 1540 की कृषि भूमि में बिना किसी के आदेश से बिना रजिस्ट्री के सुधार से राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से खसरा नम्बर 1540/2 की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जाकाश्त की कृषि भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया व पटवारी से मिलीभगत कर तरमीम भी गलत रूप से करवा लिया व गलत तरमीम भी की गई हैं । वादीगण अपनी खसरा नम्बर 1540/02 रकबा 05 बीघा कृषि भूमि का कब्जा पाने के अधिकारी हैं।

वादीया मुन्नी पत्नि नाथुराम जाति रेगर निवासी बाबरा ने वादी साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के संबंध में बयान कलमबद्ध कर पत्रावली संलग्न किये गये हैं। वादी साक्ष्य का शपथ पत्र मैन पेश किया हैं जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। वादपत्र के साथ मेरे द्वारा दस्तावेज पेश किए गए हैं जो नकल नक्शा ट्रेस ईएक्सपी 1, जमाबंदी ईएक्सपी 2 से 20 तथा सबीर बनाम नन्दकंवर वगैरह मुकदमा नम्बर 78/2017 पर ईएक्सपी 21 अंकित हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक से अध्ययन किया गया एवं बहस, प्रस्तुत शपथपत्र एवं गवाह व बयान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादपत्र एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी आदि के अवलोकन से सरहद मौजा गोपालपुरा पटवार हल्का बाबरा के खसरा नम्बर 1540/2 में वादीगण मुख्यतः बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड सरहद मौजा गोपालपुरा पटवार हल्का बाबरा के खसरा नम्बर 1540/2 में प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं है। उक्त पत्रावली में प्रतिकूल धारणा के ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूत भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। लिहाजा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

अधिवक्ता मय वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना एवं वादी की वादग्रस्त खातेदारी भूमि से कब्जा दिलाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा गोपालपुरा पटवांर हल्का बाबरा के खसरा नम्बर 1540/2 रकबा 05 बीघा में प्रतिवादीगण से वादीगण को कब्जा दिलाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 08/08/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला पाली
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

वादीगण

1. मुन्नीदेवी पत्नि नाथूराम जाति रेगर निवासी बाबरा
2. ओमप्रकाश पुत्र पुखाराम जाति मेघवाल निवासी खेडा जोगडावास तहसील मारवाड जंक्शन

बनाम

प्रतिवादीगण

1. साबिर गोद पुत्र रहिमा जाति मेहरात निवासी बाबरा
2. हाजरी पत्नि हबीब
3. रमजानीबानु पत्नि चैना काठात
4. सीताबानु पत्नि अली मोहम्मद जाति काठात निवासीगण बगतपुरा तहसील जैतारण
5. बिदामी पत्नि मस्तादअली जाति मेहरात निवासी जुंजारो का बाडिया लुलवा
6. कालू काठात पुत्र उरजा काठात जाति मैरात निवासी बगतपुर रास तहसील जैतारण
7. तहसीलदार रायपुर
8. उप पंजीयन अधिकारी रायपुर

दावा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद 12/2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा गोपालपुरा पटवार हल्का बाबरा के खसरा नम्बर 1540/2 रकबा 05 बीघा में प्रतिवादीगण से वादीगण को कब्जा दिलाने के आदेश दिये जाते हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है।

नीज.....×.....मुबलिक.....×.....बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....×.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....×..... .....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09/08/23 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर,एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	190	00	मीजान		00	00
मीजान		196	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।